

कार्यालय अग्निशमन अधिकारी

रसड़ा, बलिया

पत्रांक: एफएसओ/मेमो/(2016)/

दिनांक: 28-11-20

सेवा में,

स्वामी/प्रबन्धक

देवरायली बलिया जी० देवरहाली

चित्तौड़गढ़ जिला

जनपद- बलिया

विषय:- प्रतिष्ठान में स्थापित फायर एक्सटिंग्यूशरों की कार्यशीलता के प्रमाणीकरण के सम्बन्ध में।


संदर्भ:- आपके प्रार्थना पत्र संख्या..... I दिनांक: 20-11-2016

उपरोक्त संदर्भित विषयक आपके प्रार्थना पत्र के क्रम में आपके संस्थान में उपलब्ध 4 अदद फायर एक्सटिंग्यूशरों की दरिद्र्य हेतु शासनादेश संख्या: 1120(1)/आठ, दिनांक: 27.12.1982 में दिये गये निर्देशों के अनुसार निर्धारित शुल्क रुपये 40..... भारतीय स्टेट बैंक शाखा रसड़ा..... जनपद बलिया में चालान संख्या..... 5..... दिनांक: 28-11-16 द्वारा जमा कराया गया। प्राप्ति रसीद प्राप्त होने के उपरान्त 4 अदद फायर एक्सटिंग्यूशरों का परीक्षण किया गया जिसका विवरण निम्नवत है:-

क्रमांक	फायर एक्सटिंग्यूशर का प्रकार	क्षमता	संख्या	कार्यशील/अकार्यशील
1	P.C.P.	5 लीटर	4	कार्यशील
2				
3				
4				
5				

इस प्रकार आपके संस्थान में उपलब्ध फायर एक्सटिंग्यूशरों की कार्यशीलता उपरोक्तानुसार प्रमाणित की जा रही है। अतः प्रतिष्ठान में स्थापित फायर एक्सटिंग्यूशरों की कार्यशीलता प्रमाणित की जाती है, अग्नि सुरक्षा व्यवस्थाएँ मानकों के अनुसार वांछनीय होंगी तथा समय-समय पर इनकी कार्यशीलता प्रमाणित करायें जाने का उत्तरदायित्व प्रबन्धक/स्वामी का होगा। उपरोक्तानुसार पालन न करने की दशा में निर्गत पत्र स्वतः निरस्त समझा जायेगा।

नोट:- इस प्रमाण पत्र को भवन के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र नहीं माना जायेगा।


अग्निशमन अधिकारी
रसड़ा बलिया 28